



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## अवैध शस्त्रों के साथ दो टॉप-10 अपराधी सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-28.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना सदरपुर, महोली व रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 टॉप -10 अपराधी सहित कुल 04 अपराधियों को 04 अदद अवैध शस्त्र व 04 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है-

- थाना सदरपुर पुलिस द्वारा दो टॉप-10 अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार:- थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.बटील उर्फ सर्वजीत पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मोहाला शमशाबाद थाना सदरपुर सीतापुर, जो थाना स्थानीय का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है, को एक अदद तमंचा व कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त 2.सफी पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रमद्वारी थाना सदरपुर सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्त थाना स्थानीय के टॉप-10 अपराधी भी है। शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 368/22 व 369/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

### अभियुक्त बटील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	337/20	457/380 भा.द.वि	रामपुर कलां
2	340/20	457/380 भा.द.वि	रामपुर कलां
3	356/21	457/380/411 भा.द.वि	सदरपुर
4	176/21	2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट	रामपुर कलां
5	233/22	25 (1-बी) आर्म्स एक्ट	सदरपुर
6	368/22	25 (1-बी) आर्म्स एक्ट	सदरपुर

## अभियुक्त सफी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	362/21	3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम	रामपुर मथुरा
2	282/22	2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट	रामपुर मथुरा
3	369/22	25(1-बी) आर्म्स एक्ट	सदरपुर

- थाना महोली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अमित कुमार उर्फ छोटू दीक्षित पुत्र स्व0 प्रकाश दीक्षित निवासी दीक्षित टोला थाना महोली सीतापुर को 01 अदद अवैध शस्त्र व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 691/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
- थाना रामकोट पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रब्बानी पुत्र मौलाबक्श निवासी बिशुनपुर थाना रामकोट सीतापुर को 01 अदद अवैध शस्त्र व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 611/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



